# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट पलवा)

वाद संख्या :— 02/41/2015

<u>हरदानसिंह बनाम रामसुखा वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 15.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट पलवा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 09.06.2004 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 379/0.01, 380/0.87, 381/0.65 है. वाके ग्राम माधोगढ तहसील राजगढ में वकील प्रार्थी एक पक्ष में सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 30.06.2004 तक पाबन्द किया गया कि वो विवादित आराजी की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2004 से विचाराधीन है जिसका निस्तारण अभी नहीं हुआ है।। प्रकरण में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071—74 वाके माधोगढ का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी के इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी हरदान सिंह व अप्रार्थी रामसुखा की सहखातेदारी की आराजी दर्ज है। इस प्रकार सहखातेदार अप्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 379/0.01, 380/0.87, 381/0.65 है. वाके ग्राम माधोगढ तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.06.2004 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 कैम्प कोर्ट पलवा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(कैम्प कोर्ट पलवा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official